न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 262/2017/225 आर टी ए

सुबासिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एसएनएम श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. तेजासिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी वागिश कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. निर्मलसिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी वागिश कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. दर्शनसिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी रेल्वे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 352/2016 बअनवानी तेजासिंह बनाम सुबासिंह आदि

उपस्थित :–

श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री शमशेरसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 4

निर्णय दिनांकः–13.11.2017

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1ता3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 3 एसएनएम खाता सं. 104/95 खाता सुबासिंह के प.न. 118/274 मु.न. 22 के कि.न. 24 व 25 मे से रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा मंजूर किये गये रास्ते के ऐवज मे अपीलांट की भूमि के साथ चिपती हुई भूमि या डीएलसी दर से दुगुनी राशि अपीलांट को अदा करने के आदेश दिये गये थे तथा अपीलांट को बिना सुने एकपक्षीय आदेश अभियान मे कर दिये गये जो न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा मंजूर किये गये रास्ते के ऐवज मे अपीलांट की भूमि के साथ चिपती हुई भूमि या डीएलसी दर से दुगुनी राशि अपीलांट को अदा करने के आदेश दिये गये थे तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने के आदेश पारित कर दिये परन्तु मौका पर मंजूर किये गये रास्ते की कृषि भूमि का बाजार भाव डीएलसी दर से 4 गुणा है परन्तु इस ध्यान न देते हुये मात्र डीएलसी की दुगुनी दर से पैसे जमा करवाने के आदेश कर दिये जबकि अपीलांट आज भी रास्ता मे आई भूमि के ऐवज मे उतनी ही भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 से अपनी कृषि भूमि के साथ चिपते हुए लेकर रास्ता देने के लिए सहमत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलांट की कृषि भूमि के साथ चिपती हुई रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की कृषि भूमि मे से 2 बिस्वा अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करते हुए चक 3 एसएनएम के प.न. 118/274 मु.न. 22 के कि.न. 24 व 25 मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश पारित किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत करते हुए रास्ते के ऐवज मे अपीलांट की भूमि के साथ चिपती हुई भूमि या डीएलसी दर से दुगुनी राशि अपीलांट को अदा करने के आदेश दिये गये थे। जिसमे रेस्पो0 द्वारा डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा करवाई जाकर रास्ता का राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मे किये गये कथन के अनुसार अपीलांट की कृषि भूमि के साथ चिपती हुई रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की कृषि भूमि मे से 2 बिस्वा अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर चक 3 एसएनएम के प.न. 118/274 मु.न. 22 के कि.न. 24 व 25 मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। रेस्पो0 रास्ता भूमि की ऐवज मे अपीलांट के साथ चिपती हुई भूमि दिये जाने मे सहमत है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा रास्ता भूमि के ऐवज मे जमा करवाई गई डीएलसी दर की दुगुनी राशि वापिस दिये जाने के आदेश पारित किये जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अपीलांट ने रेस्पोडेंट को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने के लिए चक 3 एसएनएम के प.न. 118/274 मु.न. 22 के कि.न. 24 व 25 मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने मे सहमति दी है परन्तु उक्त रास्ता भूमि के ऐवज मे डीएलसी से दो गुणा राशि के स्थान पर अपीलांट के साथ चिपती हुई भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा दिये जाने का कथन भी गया है। जिस पर रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि जो अपीलांट के चिपती हुई है, के कि.न. 18 मे 1 बिस्वा व 23 मे 1 बिस्वा मे से 8 फुट रास्ता जो किला नं. 24 व 25 के स्वीकृत रास्ता के सामने दिये जाने मे सहमति दी गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तो सही है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश मे रास्ता भूमि के ऐवज मे भूमि दिये जाने या डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा करने का अंकन है परन्तु रेस्पो0 द्वारा स्वीकृत रास्ते मे प्रयुक्त भूमि की ऐवज मे डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवा कर रास्ता का अंकन अपीलांट को बिने सुने करवाया गया है।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार काश्तकारो के मध्य आपसी सहमति नही होने की स्थिति मे रास्ते मे प्रयुक्त भूमि की ऐवज मे मुआवजे के रूप राशि अथवा भूमि दिया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट रास्ता दिये जाने मे सहमत है परन्तु अपीलांट द्वारा रास्ते भूमि की ऐवज मे अपीलांट चिपती हुई भूमि दिये जाने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 मे वर्णित रास्ता यथावत रहेगा, परन्तु अपीलाधीन दिनांक 23.06.2017 आदेश को संशोधित करते हुए रास्ता के रूप मे प्रयुक्त अपीलांट की भूमि कि.न. 24 व 25 की 1–1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा भूमि की ऐवज मे रेस्पोडेंट अपनी भूमि मे से अपीलांट की भूमि से चिपती हुई कि.न. 18 मे 1 बिस्वा व कि.न. 23 मे 1 बिस्वा मे 8 फुट रास्ता भूमि के सामने छोड़ते हुए भूमि दिये जाने के आदेश किये जाने न्यायसंगत है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 मे वर्णित रास्ता यथावत रहेगा, परन्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 के अनुसार रास्ते मे प्रयुक्त भूमि के मुआवजे के रूप मे डीएलसी दर से दो गुणा राशि जमा कराने के आदेश दिये गये थे।

अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश को संशोधित करते हुए रास्ते मे प्रयुक्त भूमि की क्षतिपूर्ति/मुआवजे के रूप मे डीएलसी की दो गुणा राशि के स्थान पर रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कि.न. 17 व 24 के चिपती हुई चक 3 एसएनएम के प.न. 118/274 मु.न. 22 के कि.न. 18 मे 1 बिस्वा व कि.न. 23 मे 1 बिस्वा मे से कि.न. 24 व 25 मे दक्षिण सींव के साथ पूर्व से पश्चिम स्वीकृत रास्ते को आगे बढाने हेतु 8 फीट भूमि कि.न. 23 मे स्वीकृत रास्ते के सामने छोड़कर शेष भूमि दी जावेगी। पूर्व मे स्वीकृत रास्ते के सामने कि.न. 23 मे छोड़ी गई 8 फीट भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज की जावेगी जिसका उपयोग अपीलांट व रेस्पोडेंट दोनो पक्षकार कर सकेगें। रेस्पो0 द्वारा मुआवजे के रूप मे जमा कराई गई राशि रेस्पोडेंटान को वापिस लौटाने हेतु तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु प्रति तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ